

## राजस्थान-सरकार

### निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-33/पै.मै./एफ-120/जोन-को.अ.भ.उ./ 46

दिनांक : 23-3-26

### आदेश

निम्नलिखित कार्मिकों जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित सेवा निवृत्ति तिथि से मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	श्री राधेलाल तकनीकी सहायक	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी उप जिला चिकित्सालय बयाना जिला भरतपुर	01.07.1966	30.06.2026
2.	श्री राजसिंह फौजदार वरि.रेडियोग्राफर	राजकीय सैटलाइट चिकित्सालय भरतपुर	05.08.1966	31.08.2026
3.	श्री सुशील कुमार प्रयोगशाला सहायक	उप जिला चिकित्सालय राजाखेडा धोलपुर	15.09.1966	30.09.2026
4.	श्री कैलाश चन्द्र भाँबी, तकनीकी सहायक	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उप जिला चिकित्सालय, हमीरगढ, भीलवाडा	25.10.1966	31.10.2026
5.	श्री पारस मल जैन वरिष्ठ तकनीकी सहायक	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय ,गंगापुर सिटी (स. मा.)	10.08.1966	31.08.2026
6.	श्री गोपाल प्रसाद वर्मा अधीक्षर रेडियोग्राफर	अधीक्षक राजकीय सैटलाइट चिकित्सालय संलग्न जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज अजमेर	25.09.1966	30.09.2026

नोट: यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लंबित नहीं है।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 23-3-26

क्रमांक :- ई-33/पै.मै./एफ-120/जोन-को.अ.भ.उ./ 46

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राज. जयपुर।
2. संबंधित प्रशासनिक/नियंत्रण अधिकारी को पालनार्थ।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
4. संबंधित कार्मिक को उनके प्रशासनिक/नियंत्रण अधिकारी द्वारा सूचनार्थ।
5. प्रशासनिक अधिकारी डीपीसी अनुभाग मुख्यालय, जयपुर।

उक्त कार्मिकों  
के विरुद्ध यदि  
ऑडिट पेरा या अन्य  
कोई वसूली बकाया  
हो तो उसकी वसूली  
तत्काल कर  
निदेशालय को

Document signed by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh  
Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :19-03-2026 07:34:18

RajKaj Ref No.:  
21073308  
eSign DSC